इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011—आषाढ़ 24, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2011

क्र. १६२६४-वि.स.-विधान-२०११.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम ५९ के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०११ (क्रमांक २४ सन् २०११) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ३) विधेयक, २०११

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०११ है.

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के लिये राज्य की संचित निधि में से ३७,७५,२५,४५,७०० रुपयों का दिया जाना.

२. **मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार सात सौ पचहत्तर करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार सात सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.**

विनियोग.

३. **इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.**

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	**२,२६,१३,४०,०००**	२,२६,१३,४०,०००
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	७,१९,००,३००	**२०,१६,०००**	७,३९,१६,३००
		पूंजी	७,५०,००,०००	०	७,५०,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	१,६५,८७,०००	०	१,६५,८७,०००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	५६,५२,१०,०००	०	५६,५२,१०,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	१,१०,७५,०००	०	१,१०,७५,०००
०५.	जेल				
		राजस्व	१,५०,०००	०	१,५०,०००
०६.	वित्त				
		राजस्व	६,१३,९०,०००	०	६,१३,९०,०००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	२०,१८,८३,०००	०	२०,१८,८३,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	९,३०,११,०००	**२३,००,०००**	९,५३,११,०००
		पूंजी	४,१३,००,०००	०	४,१३,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
		राजस्व	२७,२०,०००	०	२७,२०,०००
१०.	वन				
		राजस्व	६,५०,००,०००	०	६,५०,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		राजस्व	८७,६४,०००	०	८७,६४,०००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	६७,१२,००,०००	०	६७,१२,००,०००
		पूंजी	६,८२,५०,००,०००	०	६,८२,५०,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	१०,०४,१४,५००	०	१०,०४,१४,५००
१४.	पशुपालन				
		राजस्व	६,००,०००	०	६,००,०००
		पूंजी	५३,५०,००,०००	०	५३,५०,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	१,८४,५७,०००	०	१,८४,५७,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
१७.	सहकारिता				
		राजस्व	२८,४३,६००	०	२८,४३,६००
		पूंजी	१,१३,००,००,०००	०	१,१३,००,००,०००
१८.	श्रम				
		राजस्व	१८,६१,१२,०००	०	१८,६१,१२,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	१२,९२,९१,१००	०	१२,९२,९१,१००
		पूंजी	५०,६८,८०,०००	०	५०,६८,८०,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	२,४८,०५,०००	०	२,४८,०५,०००
		पूंजी	१००	०	१००
२१.	आवास एवं पर्यावरण				
		राजस्व	१,२०,१००	०	१,२०,१००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास–नगरीय निकाय				
		राजस्व	१,६३,८३,५००	०	१,६३,८३,५००
२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
२४.	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल				
		पूंजी	१,०७,००,०१,१००	**१०,००,००,०००**	१,१७,००,०१,१००
२५.	खनिज साधन				
		राजस्व	१,२७,७४,०००	०	१,२७,७४,०००
२६.	संस्कृति				
		राजस्व	४,२५,८५,०००	०	४,२५,८५,०००
		पूंजी	२,५०,००,०००	०	२,५०,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
		राजस्व	३,१६,६०,७५,०००	०	३,१६,६०,७५,०००
२८.	राज्य विधान मंडल				
		राजस्व	४०,००,०००	०	४०,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	१,१३,४२,५०,०००	**६३,०००**	१,१३,४३,१३,०००
३०.	ग्रामीण विकास				
		राजस्व	६,००,०००	०	६,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
		राजस्व	६६,७०,०००	०	६६,७०,०००
३२.	जनसंपर्क				
		राजस्व	२५,००,०००	०	२५,००,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण				
		राजस्व	१,८१,७३,०००	०	१,८१,७३,०००
३४.	सामाजिक न्याय				
		राजस्व	९,५७,००,०००	०	९,५७,००,०००
३६.	परिवहन				
		पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	१,६६,४९,१४,०००	०	१,६६,४९,१४,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट				
		पूंजी	१०,५०,८८,८००	०	१०,५०,८८,८००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
		राजस्व	६०,९९,२३,०००	०	६०,९९,२३,०००
		पूंजी	१,३६,३२,८५,२००	०	१,३६,३२,८५,२००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
		पूंजी	५०,०१,५५,०००	०	५०,०१,५५,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
४३.	खेल और युवक कल्याण				
		राजस्व	४,१०,००,०००	०	४,१०,००,०००
		पूंजी	१,१०,००,०००	०	१,१०,००,०००
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	७,५८,१००	०	७,५८,१००
		पूंजी	३,७५,००,०००	०	३,७५,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		पूंजी	१,३०,००,०७,०००	०	१,३०,००,०७,०००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी				
		पूंजी	१०,००,०००	०	१०,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
		राजस्व	१२,००,०००	०	१२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	७,२०,०००	०	७,२०,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
		राजस्व	३,५०,०००	०	३,५०,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	२,६३,४३,८२,०००	०	२,६३,४३,८२,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा				
		राजस्व	१,०२,००,०००	०	१,०२,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	२,२७,४४,१६,२००	०	२,२७,४४,१६,२००
		पूंजी	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	२,५०,१८,०२,००	०	२,५०,१८,०२,००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.				
		राजस्व	११,५५,००,०००	०	११,५५,००,०००
		पूंजी	१,५६,५९,७००	०	१,५६,५९,७००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
		राजस्व	९,५८,००,०००	०	९,५८,००,०००
		पूंजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
६२.	पंचायत				
		राजस्व	११,८२,०००	०	११,८२,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण				
		राजस्व	५,५१,४००	०	५,५१,४००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना				
		राजस्व	८२,९८,४६,०००	०	८२,९८,४६,०००
		पूंजी	९१,०३,४८,०००	०	९१,०३,४८,०००
६५.	विमानन				
		पूंजी	६,७२,००,०००	०	६,७२,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन				
		राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
		पूंजी	५,५०,००,०००	०	५,५०,००,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी				
		राजस्व	१,४०,००,०००	०	१,४०,००,०००
		पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास				
		राजस्व	४०,००,०००	०	४०,००,०००
		पूंजी	१,२६,५६,०००	०	१,२६,५६,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा				
		पूंजी	१२,८५,७८,०००	०	१२,८५,७८,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	१,४०,४०,५७,०००	०	१,४०,४०,५७,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	४,६३,२२,०००	०	४,६३,२२,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
		राजस्व	२८,९०,००,०००	०	२८,९०,००,०००
	योग :	राजस्व	१९,२७,६१,६७,८००	**२,२६,५७,१९,०००**	२१,५४,१८,८६,८००
		पूंजी	१६,११,०६,५८,९००	**१०,००,००,०००**	१६,२१,०६,५८,९००
	वृहद योग :		३५,३८,६८,२६,७००	**२,३६,५७,१९,०००**	३७,७५,२५,४५,७००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १३ जुलाई, २०११

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.